जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनूठी पहल

स्पॉन्सरशिप योजना

के अंतर्गत अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के पात्र बच्चों को

₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता

पात्रता

- ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित हो
- ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं
- ऐसे बच्चे जो कानून से संघर्षरत हैं
- ऐसे बच्चे जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया हो
- ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हों
- ऐसे बच्चे जो दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए हैं
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध है
- ऐसे बच्चे जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित हों
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ हों
- ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो
- ऐसे बच्चे जो फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हों

अभिभावक की आय सीमा

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम ₹72,000 वार्षिक

शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹96,000 वार्षिक

(माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में 'परिवार की अधिकतम आय सीमा' का नियम लागू नही)

आवश्यक अभिलेख

आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण-पत्र

आवेदन कहां करें

आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें